बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय – विद्यापति मार्ग, पटना–800001

Email- bvapatna@gmail.com

डॉ० राय चन्द्र पासवान
अध्यक्ष
मो० 9471867310

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता
प्रधान महासचिव
मो० 7488601083

पत्रांक- 73 दिनांक- 25.08.2020

महासचिव
डॉ० दिलीप कुमार
मो० 9801881887
उपाध्यक्ष
डॉ० शोभा कुमारी
मो० 7858012676
डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला
मो० 6203955586
डॉ० सुधांशु कुमार
मो० 9939365429
डॉ० अंजनी कु० सिन्हा
मो० 9334164261
संगठन सचिव
डॉ० अनिल कुमार निर्झर
मो० 8002460154
कोषाध्यक्ष
डॉ० जितेन्द्र प्रसाद
मो० 9431033631
वित्त सचिव
डॉ० प्रमोदानंद लाल दास
मो० 9431472705
अंकेक्षक
डॉ० विजय प्रसाद मंडल
मो० 9430947979
तकनीकी सचिव
डॉ० सीमु
मो० 9471642606
प्रचार सचिव
डॉ० अंशु कुमार
मो० 9572165500
क्षेत्रीय सचिव
डॉ० सत्य नारायण यादव
मो० 9204908025
डॉ० संजीत कुमार
मो० 7070521479
डॉ० पंकज कुमार
मो० 8178451672
डॉ० करूणा भारती
मो० 9905277744
डॉ० साकेत कुमार
मो० 9471404196
डॉ० राजशेखर
मो० 7979085551
डॉ० निरंजन कुमार
मो० 9162394546
डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी
मो० 7091974830

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना।

विषय ः–आसन्न विधान सभा निर्वाचन, 2020 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों को चुनाव कार्य से मुक्त रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पूर्व में वर्ष 2019 में हुए लोक सभा आम निर्वाचन एवं विधान सभा उप निर्वाचन में भी पशुचिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों को चुनाव कार्य से मुक्त रखने के संदर्भ में निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक – 1198, दिनांक 07.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में महोदय से सादर अनुरोध है कि आसन्न विघान सभा निर्वाचन हेतु भी पशुचिकित्सकों को चुनाव कार्य से मुक्त रखने संबंधी आदेश सभी जिला पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / निर्वाची पदाधिकारी को निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)
प्रधान महासचिव

लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 एवं विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः बी1–3–20/2019– 1198 पटना, दिनांक 07 मार्च, 2019 ई0।

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।
निर्वाची पदाधिकरी,
–सह–अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फपुर,
सारण, मधुबनी, समस्तीपुर एवं पटना।

विषय :– **लोक सभा का आम निर्वाचन, 2019 एवं विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019 – निर्वाचन कर्त्तव्य पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन।**

प्रसंगः– **श्री सुमित मुखर्जी, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 464/INST/2008/EPS दिनांक 26.12.2009.**

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ किया जाये। श्री सुमित मुखर्जी, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2008/EPS दिनांक 26.12.2009 के माध्यम से निर्वाचन कर्त्तव्य पर कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में आयोग के निदेश संसूचित किये गये हैं। इनका विवरण निम्नवत् है :–

1. निम्नलिखित विभागों/श्रेणियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है:–
   (i) Senior Officers of the Indian Forest Service.
   (ii) Doctors and Compounders Working in veterinary hospitals.
   (iii) Officers working in Grade –B (Cattle Extension Officer) in veterinary hospital.
   (iv) Medical Practitioners.
   (iv) Territorial Staff of Forest Department.
   (v) All India Radio.
   (vi) Dordharshan.

2. निम्नलिखित विभागों/श्रेणियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्य परिस्थितियों में निर्वाचन कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है। मात्र असामान्य परिस्थितियों में ही (Only in unaviodable circumstances) इनकी प्रतिनियुक्ति निर्वाचन कार्य हेतु की जा सकती है :–
   (i) Operational/Technical Staff of BSNL
   (ii) Operational/Technical Staff of MTNL
   (iii) Operational/Technical Staff of UPSC and educational institutions.

3. Commercial banks के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कार्यालय, जो Single Officer Branch के रुप में कार्यरत हों, के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि श्री सुमित मुखर्जी, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2008/EPS दिनांक 26.12.2009 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

कृपया भारत निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त निदेशों की प्रति संबंधित कोषांगों में कार्यरत पदाधिकारियों तथा अन्य संबधित को उपलब्ध कराते हुए उन्हें यथोचित निदेश दिये जायें।

अनु० :– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

7/3/19

(संजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार